प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 20.08.2024

थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 19.08.2024 को थाना मोदीनगर पर वादी मुकदमा श्री कन्हैया पुत्र बनवारी लाल निवासी जगतपुरी मोदीनगर द्वारा तहरीर दी गयी कि कल सुबह लगभग 10.00 बजे जब उनकी पुत्री सामान लेने के लिए घर से गई हुई थी तब उनकी कॉलोनी मे बाल खरीदने की फेरी लगाने वाला एक अज्ञात व्यक्ति उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया तथा ग्राम सिखेडा मे कुछ समय बाद छोड दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अज्ञात अभियुक्त की पहचान हेतु टीमो का गठन किया गया।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए सीसीटीवी फुटैज व सर्विलांस के आधार पर अज्ञात अभियुक्त की पहचान की गयी तथा दिनांक 20.08.24 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त वकार पुत्र गुलजार निवासी 1360/12 जाकिर हुसैन कालोनी थाना लोहियानगर जनपद मेरठ को घटना मे प्रयुक्त मो.सा. UP15 EA 9574 पैशन प्रो सहित गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण –

पूछताछ करने पर अभियुक्त ने बताया कि मैं गाँव – गाँव में घूमकर बाल खरीदने का कार्य करता है। दिनांक 19.08.2024 को भी मैं मोदीनगर में मौहल्ला जगतपुरी मे आया था तो एक लडकी मुझे दिखाई दी वह लडकी मुझे देख रही थी तो मै अपनी मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया था तथा बाद में उसे छोड दिया था गलती हो गयी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त –

वकार पुत्र गुलजार निवासी 1360/12 जाकिर हुसैन कालोनी थाना लोहिया नगर जनपद मेरठ उम्र करीब 22 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है।

अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.08.2024 को थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर गैगस्टर एक्ट के अभियोग मे वांछित अपराधी अभियुक्त उज्जवल पुत्र श्री नरेन्द्र निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद उम्र 21 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध विवरण- अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है जिनका एक संगठित गिरोह है जो अपने साथियो के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराध कारित करते है। जिसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के कारण गांव के रहने वाले जितेन्द्र पुत्र रणवीर की दिनांक 19.10.2023 को दिल्ली सहारनपुर रोड पर अशोक विहार थाना लोनी क्षेत्र में गोली मारकर हत्या की थी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

उज्जवल पुत्र श्री नरेन्द्र निवासी अगरौला थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास –

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी पर हत्या व गैंगस्टर अधि0 के 02 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना लोनी पुलिस टीम।